अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 894/24 (CIS NO. 894/24)

आकांक्षा अग्रवाल **बनाम जविप्रा**

हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं0 894/2024

आकांक्षा अग्रवाल बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 04.06.2026

अधिवक्ता अपीलार्थी श्री ऋषिकेश महर्षि उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सारण उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से अप्रार्थी जविप्रा द्वारा प्रस्तुत जवाब के विरूद्व रिजोईन्डर पेश किया। शामिल पत्रावली रहे।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. जविप्रा द्वारा दिनांक 15.10.2024 को अपीलार्थीया को जविप्रा आक्षेपित नोटिस दिया जाकर यह आक्षेपित कर सूचित किया कि अपीलार्थी द्वारा सडक सीमा में करीब 50′ बाई 15′ फीट में लोहे के टीनशेड व सिढीया बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, में रोड/आम रास्ते/पार्क/सुविधाक्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकृति के अतिक्रमणों को अविलंब हटाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट सं0 7688/2019 सूओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में भी स्पष्ट आदेश प्रदान किये गये है। आप द्वारा किये गये अवैध निर्माण/अतिक्रमण को आप स्वयं अविलंब हटाकर जविप्रा को सूचित करे अन्यथा जविप्रा के प्रवर्तन दस्ते के द्वारा उक्त अवैध अतिक्रमण/निर्माण को दिनांक 17.10.2024 को हटाया जावेगा जिसका हर्जा खर्चा नियमानुसार जविप्रा द्वारा आपसे वसूला जावेगा, जिससे होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4. उक्त नोटिस से व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन नोटिस के माध्यम से अपीलार्थीया को जविप्रा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीया उक्त नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना अतिरिक्त जवाब व सुसंगत दस्तावेजों के माध्यम से अपने निर्माण की वैधानिकता को प्रमाणित व साबित कर सकती है। इस प्रक्रम पर जब प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया आरंभ करते हुये अपीलार्थीया को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया गया है तो इस अधिकरण का हस्तक्षेप गुण–दोषों पर कोई अभिमत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः यह अपील निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:–

1. अपीलार्थीया आदेश दिनॉक से 15 दिन के भीतर आक्षेपित नोटिस दिनांक 15.10.2024 के सम्बन्ध में अपनी आपत्तिया/अतिरिक्त जवाब व सुसंगत दस्तावेज प्रत्यर्थी के संबंधित जोन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 897/26 (CIS NO. 897/26)

[illegible] बनाम जविप्रा

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्ब तारी अहकाम इस हुक्म तामील जारी हु

2. अपीलार्थीया द्वारा इस विहित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा कि वह इस नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना नहीं चाहती हैं।
3. अपीलार्थीया द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपना निर्णय अविलंब पारित करें तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थीया को अवगत करावें।
4. इस विधिक प्रक्रिया / कार्यवाही के लम्बित रहने तक अपीलार्थीया किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेगी, साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने तक, प्रत्यर्थी द्वारा भी विवादित निर्माण कार्य को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त अथवा सील नहीं किया जावेगा।
5. यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थीया के विरूद्ध कोई आदेश / विधिक नोटिस दिया जाता है तो निर्माण हटाने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक **04.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।